

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Now, the question is.

"That leave be granted to Shri N. K. Sanghi to withdraw his Bill".

*The motion was adopted*

**SHRI N. K. SANGHI.** Sir, I withdraw the Bill.

---

15.30 hrs.

**REPRESENTATION OF THE PEOPLE  
(AMENDMENT) BILL**

(Amendment of section 8) by Shrimati Subhadra Joshi

**MR DEPUTY-SPEAKER** Now, we shall take up the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951 by Shrimati Subhadra Joshi.

**श्रीमती सुभद्रा जोशी (चार्दी चौक)**  
उपाध्यक्ष महोदय, मेरे "रिप्रेजेंटेशन आफ़ दी पियूपिल एक्ट, 1951" को आगे अमेन्ड करने के लिये अपना बिल भूव करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली लोक सभा के सदन ने एक ऐसा कानून पास किया था जो क्रिमनल-ला-एमेन्डमेंट बिल के नाम से जाना जाता है। उसके अन्दर जो धारा 153 (बी) जोड़ी गई थी, उसके मुताबिक अनलाइन एक्टिविटीज की परिभाषा भी बदल दी गई थी और यह कहा गया था कि जो लोग ऐसी ड्रिल्ज, एक्सरसाइज या इस किस्म, की हरकते करें, जो क्रिमनल ला एमेन्डमेंट बिल के अनुसार अपराध हो तो उनको भी 153 (बी) के अन्तर्गत लिया गया था। उसका उद्देश्य यह था कि जो लोग प्रोपेनडा करें, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, रेस के नाम से, भाषा के नाम से मनकरत फैलायें, उसके लिए ड्रिल्ज या एक्सरसाइज करें जिससे कि दूसरे लोग डरे और उनमें नफरत फैले तो क्रिमनल कोड के भारातीक उसको भी अपराध समझा जाये।

उस समय होम मिलिट्री साहूव ने यह कहा था—यह इस लिये आवश्यक है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाता है या उसके खिलाफ प्रचार करता है तो सजा पा सकता है। लेकिन अगर कोई समूह उस अपराध को करता है, तो वह कुमूर नहीं समझा जाता है, तो इस उद्देश्य से वह कानून पास किया गया था।

15.32 hrs

[**SHRI K N TIWARY** in the Chair]

मेरे जो अमेन्डमेंट पियूपिल रिप्रेजेंटेशन एक्ट मे है, वह यह है कि जिस तरह से आप ने इस कानून की धारा 152 (ए) के अन्तर्गत एसे व्यक्ति के लिये सजा रखी है कि वह 6 साल के लिये डिस्कवालिफाई कर दिया जाता है, किसी विधान-सभा या लोक-सभा के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह मे आपने जो क्रिमनल ला एमेन्डमेंट बिल पास किया था और उसमे जो दूसरी धारा 153 (बी) जोड़ी थी, उसी तरह की व्यवस्था इसमे भी हो कि जो 153 (बी) के बुताबिक सजा पा जारेंगा उसको भी विधान सभा या लोक सभा मे या ऐसी जगहों मे लोगों का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं होगी और वह भी 6 साल के लिए डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय, यह कानून इतना अवश्यक था कि लोक सभा ने उस को पास कर के अपना कर्तव्य तो पूरा कर दिया लेकिन उस कानून को सरकार ने कभी तक नागू नहीं किया है। इस तरह नफरत फैलाने या दर्गे फिलाद कराने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये दर्गे फिलाद, जो कभी भाषा के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी रिंजन के नाम से, कभी सूबे के नाम से—इस लिये फैलाने जाते हैं कि वे लोग उस के बढ़िये ताकत मे आने की कोशिश करते हैं। अगर लोक सभा ऐसा कानून बना दे कि हे लोग पाकड़

मे नहीं आ सके, उन की डिस्कालिफाई कर दिया जाए तो वे लोग आये नहीं बढ़ सकेंगे और रामज्ञ जाएंगे कि ऐसा करने मे हम वाई कायदा नहीं है और ऐसा कर वे हम पावर मे नहीं आ सकते हैं।

सभापति महोदय, ये जो तरकीबे हैं— ये राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिये इस्टेमाल की जाती है, इस को सभी सदस्य जाना है। परन्तु इस तरह से पावर मे आना और इस तरह की हरकते करना जम्हूरियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और मैं तो यह कहूँगी कि वह इन्मानियत के भी खिलाफ है। इस लिये इस चीज को रोकने के लिय सब म पहला कदम यह उठाना चाहिय है ये लाग राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिय ऐसे काम करते हैं और अगर राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं हो पाती है, अगर हाँ भी जात है तो भी नुकसान होते हैं। हाँ जाते हैं तो फिर ऐसी हृष्णते करने हैं, ऐसे काम करते हैं—जो लोग जनना की राय से, लोकमत से जीत कर जाने हैं, बहुसंख्या मे जाते हैं, ये जम्हूरियत के दुष्मन उन लोगो को काम नहीं करने देते और ऐसे नरीके अखिलतायर करते हैं जिस से वे लोग काम नहीं कर पाते।

इन की ज्यादा चर्चा मै क्या करूँ। पिछली बोक सभा का चुनाव हुआ, एक जमायत जो बहुसंख्या मे जीत कर आई तो रोज लोक सभा के प्रस्तर ये ताते दिये जाने लये किसापकासिलखा बहुत था गई है, जैसे कि बहुसंख्या मे आजाना कोई कुसूर हो गया है, अपराध हो गया है। उस के बाद सारे देश मे यह कोशिश की जाती रही—जैसाकि आप मे देखा, आसाम मे आषा के नाम पर दगे करवाये जा रहे हैं, आध प्रदेश मे किसी और बड़ाने से दगे करवाये जा रहे हैं, बम्बई मे चुनाव से पहले भी दगे करवाये और चुनाव ]

जीत कर आये तो फिर लो करवाये जा रहे हैं।

उम्मानिया यूनीवर्सिटी मे जाऊँ रेही को कल कर दिया गया आर दुनिशा जानती है कि यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वा कारनामा था, उन की हरकते थी अलीगढ़ यूनीवर्सिटी मे कानून का बहाना सेकर उधम करने की कोशिश की गई। दिल्ली यूनीवर्सिटी मे शापने और हम ने देखा कितने उत्पात मचे कही बस हिंजैक की गई, किसी का घोड़ा मारा गया, एक दुखिया मजदूर की ओरत मर गई। सरकार को मालूम है कि ये उत्पात कीन लाग करते हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ वार्यवाही न कर—यह मेरी समझ मे नहीं आता है।

सभापति महोदय आप जानत है कि बनारस यूनीवर्सिटी की रोज यहा चर्चा होती है लोक सभा के अन्दर भी और बाहर भी, यह क्या हो रहा है—इस अखबार के एडीटरियल को देखिये, जो काग्रसी अखबार नहीं है—इस मे लिखा है—

*'It is no secret that these organisations the R.S.S., Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and the Samajwadi Yuvajan Sabha—have been opposing every attempt to ease their stranglehold over the university and making every effort to disrupt its working. They rejected the new constitution for the Students' Union because it vested effective authority in the general Students' Council rather than in the president and secretary. They prevented city buses from plying within the campus so that students were inconvenienced. They boycotted meetings between student representatives and the authorities, including the teachers. They drew up a list of over 30 demands, many of them blatantly unreasonable etc.'*

## [श्रीमती सुभद्रा जीवी]

और डिमांड भी थी कि जो स्टेन्डर्ड्स फेल हा गये हैं उन को पास कर देना चाहिये। इन्हें का भतलब यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ की कार्यवाहियों से, करतूतों से सारी दुनिया बाकिफ है। उन के अपने तरीके हैं, अपने ग्रामबाज़ हैं और सारे देश को यह मालूम है कि वे लोग उपचर करने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक के कल्पों गारन्ट में जो इनका हाथ रहा उससे भी सरकार काफी परिचित हो चुकी है। सरकार की अपनी गिपोर्ट ने खबरे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ ऊद्धम मचाने के पीछे था। मैं अखबार से महाराष्ट्र की रिपोर्ट आपने सामने रखना चाहती हूँ जिसमें लिखा है कि किस तरह से जलगाव में फिर दोगे की तैयारी कर चुके हैं, यह वही जलगाव है जहाँ दो वर्ष पहले ओरों के साथ एक औरत के चार बच्चों को भी जिन्दा जना दिया गया था। उसी कलक का टीका हमारे माथे पर लगा हुआ है। इसमें लिखा है कई हजार लाग वहाँ जाकर जलगाव में एक्ट दो रहे हैं, भीटिंग कर रहे हैं। एक आधिकारिक और दोनों करवा चुके हैं और किरदार की तैयारी में हैं। तो चलि सरकार कदम नहीं उठा रही है और जो कानून पास किए थे, प्रतिबन्ध नगाने के तिए क पास करने के बाद भी इन जमातों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा है। इन जमातों पर प्रतिबन्ध न लगाने से ही उनकी जुर्त बढ़ गई है और दोगे पर दोगे करवाये जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में मुझे उत्तर प्रदेश में गोडा जाने का मौका मिला तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से इन्हें खराब खराब पर्चे गाढ़ा और उसके आस पास बाटे जा रहे हैं कि उनको देख कर भला आदमी भी सोचता है कि शायद जगड़ा करना ही मुनासिब है। इस तरह से वहा भड़काने की कोशिश की जा रही है। गोडा में तो सरकारी कमंचारियों ने दोगा रोक दिया लेकिन वहा से दोस-

मील दूर पर इन्होंने एक दगा करवा दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसी जमातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहि और पीपुल्स रिप्रेजेनेशन एक्ट में सशोषन करने उनको डिस्कवालिफाई करना चाहिए।

दूसरे जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, तरक्की के खिलाफ हैं, जो देश की उन्नति के खिलाफ हैं, जो परिवर्तन लाने के खिलाफ है उनकी भी यह कोशिश रहती है, वह भी इन जमातों का इस्तेमाल करते हैं है, पिछले दिनों में सरकार ने गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में लेने का इरादा किया तो चाहे वस्त्रही हो, दिल्ली ही या कोई दूसरा शहर हो वहाँ पर कौन लोग हैं जोकि आर० एम० एम० को शिव सेना को या मस्लिम लैंग को पैसा देते हैं और इन जमातों को इनमाल करने की कोशिश करते हैं। यही प्रतिक्रियावादी लोग हैं जोकि ऐसा करते हैं।

एक बात और है कि पिछले दिनों में सी आई ए के एजेन्ट्स की बहुत चर्चा हुई और सरकार ने लोगों का चेतावनी दी कि सी आई ए एजेन्ट्स से जनता होशियार रहे। मैं मत्ती जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जो सहबान अमरीका के थे एक हैं जीनए कुरेन और दूसरे हैं ग्रेग बैकस्टर। दोनों ने किताब लिखी थीं। जीन कुरेन जिन्होंने किताब लिखी वह एशिया और अफ्रीका में सी आई ए के फार्मर हैं। ग्रेग बैकस्टर य० एम० इम्बीसी, नई दिल्ली में काम करते थे। जब वह यहाँ थे तब स्टॉडी करते रहे जब यहाँ से चले गए तो उनकी जगह पर योफर और हैंगटी साहब आये, वही उनकी मदद करते रहे। यह दोनों लोग जनसंघ के बारे में स्टडी कर रहे थे। बैकस्टर साहब ने जो भी लिखा है उसमें धन्यवाद दिया है उन लोगों को जिन्होंने किताब लिखने में और स्टडी करने में उनको मदद दी है। उन्होंने कहा है कि जनसंघ के तीन व्यक्तियों ने मुझे मदद करने में अपना काफी समझ

अधीत किया है। उसमें श्री लाल० के० इडवानी, केयरमैन भेट्पोलिटन कौमिन, श्री बलराज मधोक और श्री जगद्वीश माथूर, आफिस के सेकेटरी वर्गरह हैं। मेरी अर्जे यह है कि देखें की बात यह है कि यह किताबे कब लिखी गई जब कि करन साहब ने मृटी करके अन्दाजा लगाया और मलाह दी कि जनसंघ जो है, आर एस एस जो है वह इम तरह से काम नहीं कर सकेगा। श्रीर किताब उन्होंने लिखी उसको पढ़ा जायें। कुरें माहब ने जब किताब लिखी उसके बाद आर एस एस ने जनसंघ को जन्म दिया। उसके परिणामस्वरूप जनसंघ को वैदायश हुई। जब क्रेंग बैकमटर ने किताब लिखी

(व्यवधान) तो उन्होंने लिखा है कि जनसंघ अकेले नहीं चला पायेगा। जब क्रेंग बैकमटर की किनाब निकली उसके बाद ग्रान्ड एलायन्स हिन्दुस्तान मे हुई। तो मैं आपके जयिये से भीती महोदय से अर्जे करना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री की खबरे रखने का तो मेरे पास कोई सब्बाल नहीं है यह इन्कामेंशन और यह किताबे तो वह पर यानिसी बनाती है, उनको आर एस एस और दूसरी जमाते यहां पर लागू करती है, तो आखिर वह एजेंसी कोन सो है। अगर एजेंसी नहीं ले रखी तो कि उनके कहने से हिन्दुस्तान को तबाह करवाये तो फिर एजेंसी और होती क्या है? यू० एम० ए० ने कोशिश की हिन्दुस्तान के खिलाफ काम करके और पाकिस्तान का साथ दिकर कि हिन्दुस्तान की सरकार को दबाया जाये लेकिन सरकार न दबने से इन्कार कर दिया उन्होंने ऐसा बातावरण पैदा कर दिया कि जनता भूखा भर रही है ताकि सरकार को घुटने टेकने पड़े अभीका के मामने लेकिन सरकार ने घुटने नहीं टेके बल्कि सरकार ने कहा कि उनके एजेंट जो यहां पर लोगों को भूखे मारकर ऐसा बातावरण पैदा करना चाहते हैं जसका हम सुकाबला करेंगे उस सरकार ने कहा कि अनाज के व्यापार को हम अपने हाथ मे ले लेंगे। फिर उधर क्या हुआ?

जब सरकार ने यह फैसला किया तो अमरीका के ऊपर से पर्दा हटा और उन्होंने फिर से बुल्लम खुला पाकिस्तान को हथियार देने शुरू कर दिए।

तो सै यह अर्जे करना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान मे यह जो फिरप्रस्त जमाते हैं, चाहे वह आर एस एस हो या जमाते इस्लामी हो—यह लोग हिन्दुस्तान मे शास्ति के दुश्मन हैं, यह हिन्दुस्तान की प्रगति के दुश्मन है, हिन्दुस्तान की उन्नति के दुश्मन है, चाहे यह दुश्मन हिन्दुस्तान से बाहर के हैं या फिर हिन्दुस्तान मे उनकी जो एजेंसी करते हैं वह लोग हैं। मैं सरकार से अर्जे कर्त्ती कि एक तो पहले जो बिल पास हुआ था, इसी हातम से इन्हें लो थी जिसमें आपको अधित्यार हो कि ऐसी जमातों पर प्रतिवध लगा सके तो उससे पालमेन्ट ने अपना फर्ज पूरा कर दिया था लेकिन सरकार को अपना फर्ज पूरा करना अभी बाकी है। क्या मैं जान करनी हूँ कि आखिर काई हिसाब किताब रखा है कि हिन्दुस्तान ने कितने लोगों को मरवायें जिसके बाद हिसा का खन्म करेंगे। इसलिए एक तो उसको लागू करेता सभी कानूनों का इस्तेमाल करे और जो अमेन्डमेन्ट मैंने आपके सामने रखी वह इम्पीमेन्टेशन का थोड़ा सा एक हिस्सा है ताकि ऐसे लोगों को विधान सभा, मे, लोकसभा मे या ऐसी और जगह पर आने का अधित्यार न हो और यह उनके सामने एक लालच रहे, इसकी तरफ उनका ध्यान जायेगा। जिस तरह से और बातों के लिए डिस-बवालिफाई किया जाता है उसी तरह से इसके लिए भी डिस-बवालिफाई किया जाये ताकि यह समझे कि वह लोगों की नमाइन्दगी करने के लायक नहीं हैं। इसी मतलब से मैंने आपके मामने यह एमेन्डमेन्ट पेश की है।

MR. CHAIRMAN. Motion moved.

"That the Bill further to amend the Representation of the People

[Mr. Chairman]  
Act, 1951, be taken into consideration."

There is one amendment by Shri Daga. Is he moving it?

**SHRI M. C. DAGA** (Pali): Yes I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 3rd October, 1973."(1)

**SHRI S. P. BHATTACHARYYA** (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, I fully support the spirit of the mover of this Bill about ending hatred among the people. The communal spirit should be curbed. But I think the method she has adopted, namely, amendment of the Representation of the People Act, is not fair. What I feel is that these things are going in in our country for quite some time and it is only democratic sense in the people that will save this country from this problem.

Only those laws should be enacted which can be implemented. In spite of the existence of various laws, we have seen during the last few years that so many people belonging to the Scheduled Castes and Tribes have been tortured or killed. But nothing has been done. I had been to Rupaspur village in Purnia district. There, the houses of Scheduled Caste peasants have been burnt. Yet, nothing has been done there. Only by changing some Act, do you think that you can save this country from these inhuman feelings and ideas? It is not possible. It will be, in the present situation, taken otherwise, because police, in general, does not help the healthy development of the people's forces. They utilise the sections only to suppress the forces which are against the ruling Party or against the interests of the ruling party. They do not utilise the Acts for the interest of the people in general or for the defence of democracy in general, but they utilise the Acts only to help the ruling party which

they think is favourable. I will give an example, the example of the peasant leader, Shri Binai Konar of Burdwan district. There was a murder. But no FIR was given against him. After a few months, Shri Binai Konar was suspected to be linked with the murder and he is put in the jail. Everyone knows that it is a false case. But the Police has the power to put him in the jail and still he is rotting in the jail. We know that it is false. Therefore, we cannot think of police in West Bengal acting for the good of the people.

Last year, Mrs. Geeta Chatterjee met our Prime Minister. She was tortured and molested, her husband was killed. The police knew the guilty persons, but they have not been arrested. Do you think that the police will help to consolidate our democratic strength, to make the atmosphere healthy? Never. Only a strong democratic sense can save our country from these corrupt things and that should be developed. It cannot be done by enactment. I support the spirit of the Bill that these bad things must go out of the country and the enemies of our country must not take the opportunity to disrupt the unity of our country. But amendment of the Act is not the way to do that. The only way by which it can be achieved is by strengthening the consciousness and democratic sense of the people. Therefore, I oppose the Bill, in spite of my supporting the spirit.

**श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) :** मानवर, मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूँ क्योंकि इस बिल की जो प्रेषण है उन्होंने भारत के इतिहास में साम्प्रदायवाद के खिलाफ अपना जीवन योग दिया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी जनता जिम्मेदार है कि हम ने साम्प्रदायिकता को जितनी सख्ती के साथ खत्म करना चाहिए था, नहीं किया। मुझे भारत में साम्प्रदायिक समाजों से उन के जो साम्प्रदायिक संगठन

गे हैं उनसे उतनी शिक्षावाल नहीं है, जितनी अपने लोगों से जिकाजत है कि उन्होंने इनको बक्त पर नहीं दबाया और आज भी बक्त आ गया है कि उन्हें उन लोगों को जो राष्ट्र हितों के खिलाफ फिरकापरस्ती का काम करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं उन्हें सज्जी से दबाया जाए।

कुछ धार्मिक साम्प्रदायिक जमाते धर्म के नाम पर सुबह शाम पैरेड करती हैं। उनके इतिहास को बेखा जाए तो कभी वह अप्रेजों की चौकीदारी करते रहे अथेज़ शासन गे हिन्दुओं को बिदेशी तोना में भर्ती करते रहे और उस बक्त की जो मुमिनम साम्प्रदायिक स्थायों की बह अथेज़ की मदद करते रहे, उनकी चौकीदारी करते नहे। देश आजाद हुआ तो उसकी आजावी में हिस्सा नहीं लिया तो कम से कम देश के निर्माण में ही हाथ बटाने। लेकिन वह भी नहीं किया। पना लगा कि राजा, महाराजाओं की चौकीदारी कर रहे हैं। राजा, महाराजाओं को बचाने के लिए यह हिन्दू मिलिट्री आगताइज़शन ने किसानों को मारा गरीबों को मारा, लेकिन राजा नहीं बचे। इतिहास को बात है कि ऐसी भस्मासुर जमात है कि बिसका साथ देती है उसी का बड़ा गरक हो जाता है। अप्रेजों का बड़ा गस्क किया, राजाओं और बड़े जरीदासे का बड़ा गरक किया उनका साथ देकर।

15.57 hrs

[SHRI S A KADER in the Chair]

अभी परसों की बात है दिल्ली में अनाज के व्यापार को सरकार ने अपने हाथ से लिया, यह तक सामाजिक कान्ति है, उसको लेने के सबब से भारत के तमाम बड़ी भार्केटियर्स ने बहुत बड़ी हँडवाल की। जलो ठीक है, लेकिन उस हँडवाल से यही जम्माव जो सुबह पैरेड करती

है नेकर पहन कर, उसने दिल्ली के दो प्रमुख नेता हैं, कारपोरेशन के सदस्य हैं, श्री बृजन्द जैन और श्री जे० पी० गायत्रे

सभापति महांदय आप नाम क्यों लेते हैं। श्री शशि भूषण उनके घरों के आगे इस जमात के लोगों ने 700, 800 की तात्पाद में प्रदर्शन किया। वह लोग पटियाला गए हुए थे उनके बर बालों को गलिया दी और बहुत गलत अवहार किया। आज मुनाकाखोरों की ज़क्का के लिए यह मिलिटेट हिन्दू आगोनाइज़शन जो लोग सामाजिक कान्ति चाहते हैं उनके घरों के ऊपर हमला करती है। वह जो कुछ भी करने हैं किसी की रक्षा और किसी के इशारे पर करते हैं।

पिछले दिनों जब बृजला देश में हमारे देश की जनना ने बोड़ा सा हिस्सा लिया और हमारा कज़ जा, उसके मबब से हमारे पड़ास में चौन एक बड़ा राष्ट्र है, उसके प्रधान-मन्त्री चाउ-एन-लाई ने कहा कि अमर बागला देश म हिस्सा नोगे तो आप अपने देश म उसा आग से जलाग। और अमरीका के राष्ट्रपति ने भी वही कहा। अब उन्होंने बहा शायद खामोश हो गये। लेकिन जो नुस्खा ही हिन्दुनान में अखड़ भारत का नारा देते थे वही आज खड़ खड़ भारत का नारा देने लगे।

श्री आर० वी० बडे (बारगोन) माननीय अटल जी ने कहा हमारी नेता इदिरा गांधी है।

श्री शशि भूषण मैंने तो जनसभा या आर० एस० एस० का नाम नहीं लिया। पहिले जी यता नहीं क्यों चिढ़ गये। अखड़ भारत से खड़ खड़ का नारा हुआ लददाख अलग हो जाए, कम्पीर अलग हो जाए, पजाब हरियाणा देशभक्त को जलाकर अलग किया गया। उसके बाद पू० पी० बिहार के हिस्से किए जाएं ऐसी भाग भी उठ रही है। श्री बलराज भाषोक जनसभा को

[भी शक्ति भूषण]

फासिस्ट पार्टी क हते हैं। पता नहीं कौन फासिस्ट है। आज आनंद्य को बाटने की बात कह रहे हैं। जो सी० आई० ए० और चाहीने इटलीजेस मिल कर काम कर रहे हैं इनसे सावधान रहना चाहिए। चूंकि निकसन साहब चाहना। गए तो उन्हीं का साथ देने लगे। तो जब बड़ा साम्राज्यवादी देश किसी दूसरे के साथ देने लगता है तो उनके साथ मिलकर परेड करने लगते हैं। लेकिन जो जनता के हितों की चीजें हैं उनके लिए जब पार्लियामेट में कोई आन्दोलन होता है उसका यह लोग विरोध करते हैं। चाहे बैंक राष्ट्रीयकरण का मसला हो चाहे कोई और जनहित की बात हो यह यह ज्ञेन शिक्षियत राष्ट्रवादी चौकीदार है, साम्प्रदायाधियों के चौकीदार हैं, साम्राज्यवादियों<sup>1</sup> के चौकीदार हैं आठतियों के, राजाओं के, जाँचीदारों के और मुनाफाखोरों के तथा विदेशी सरमायेदारों के चौकीदार हैं यह सुबह से शाम पैरेड करते हैं।

इनको तीस माल परेड करते हो गए हैं। लेकिन कभी इहोंने गरीब जनता की बात सामने नहीं रखी है। ये हिन्दू मुसलमानों का गला काटेंगे, हिन्दू सिखों का काटेंगे, जहा भी साम्प्रदायिकता होगी वहा उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आप क्यों इस तरह की चीजों को बरदास्त करते हैं? आर एस एस से मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोलबलकर जी से कोई शिकायत नहीं है, बड़े जी से कोई शिकायत नहीं है। हमको शिकायत अपनी जमायत से है जो भारत की तरकी पमन्द ताकतों से है क्योंकि हमने इनको आज तक क्यों बरदाश्त किया है? हमें शिकायत अपने आप से है। हमारे नेता पठित जवाहरलाल नेहरू एक प्रजानार्थिक व्यक्ति थे। उन्होंने इनको बहुत मौका दिया कि किसी तरह ये अपने आपको सम्भाल लें सेक्रिन ये हमेशा देश में आग जलाते रहे हैं गाधी को मारने से लेकर आजतक

इसतरह की घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। देश के किसी भी कार्य में इन्होंने भवद नहीं की है। हिन्दू पारसी को लड़ा दिया, हिन्दू सिख को लड़ा दिया। कोई जमायत नहीं छोड़ी। मुझे खुशी है कि जमायत इस्लामी कहती है कि जनसंघ हिन्दू मूलितम फिसाद नहीं करता और जनसंघ कहता है कि जमायत इस्लामी फिसाद नहीं करती। तब फिर फिसाद आसमान से होते हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को शाति सार्टिफिकेट दे रहे हैं। इनके आका कौन है? अप्रेजी जमाने में भी यह दोनों फिसाद करते थे और एक ही धर में रात का आपस में मिल जुल कर बैठते थे। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे बात एक ही है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। है यह चीज कम्युनल।

16.00 hrs.

पिछले दिनो मध्य प्रदेश में आठ जनसभी एम एल एज को जिन में फिलहाल राज्य सभा के मैन्सर सकलेजा भी थे, डिस्कवालीफाई किया गया इस वास्ते कि ये पर्व बाट रहे थे कि कांग्रेस गाय कटवाती है। इसके बाद वह राज्य सभा में आ गए। इतना होने पर भी अगर कोई राज्य सभा में आ सकता है। पीपलज रिप्रिजेटेशन में मैं चाहूँगा कि इस बात के लिए सज्जा होनी चाहिए कि जो कम्युनल एक्ट करता है या करवाता है उसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा, तब तक इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना कठिन होगा।

मैं चाहता हूँ कि देश रक्षा के लिए चाहे ये कुछ करे या न करे लेकिन कम से कम ये सेक्युलर तो रहें। फिर जो कुछ ये करता चाहते हैं करते रहें। सेक्युलर रहेंगे तो इनका इमेज अच्छा रहेगा। जनसंघ के जिन लोगों को डिस्कवालीफाई किया गया इस वास्ते

कि कहीं कहते थे कि गाय काट रहे हैं, कहीं फोटो लगा रहे थे तथा इस तरह के बृणित कार्य कर रहे थे, वे लोग भी जीत कर आ गए हैं, राज्य सभा से आ गए हैं। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि एक्ट में तबदीली लाना बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह पुराने तजुँब से कायदा उठाकर एमेडमेट लाए, ताकि जो लोग देश में साम्प्रदायिकता फैलाते हैं वे दोबारा इनेक्शन के लिए खड़े न हो सकें।

ये सुवह मे शाम तक पैरेड ही नहीं करते हैं। ये इस ताक में भी रहते हैं कि कहीं सरकार कोई तरकीकी का गमना निकले ना उसको बन्द करने की किम तरह से कोशिश की जाए। देश भर में जो बैकमार्किटियर्स हैं, जो होइंडर्ज हैं राजा महाराजा ये उनसे ये सत्याग्रह करते हैं। हम तो पाच साल जेल में रहे अप्रेजों के जमाने में लेकिन हमने किसी ने भी फूल की माला तक नहीं पहनाई। लेकिन ये क्या करते हैं? सुवह सरमारेशारों को लाने हैं, उनका फूल मालाएं पहनाते हैं, उनका आदर सरकार करते हैं, उनको जेल भिजवा देते हैं और शाम को दूध पीकर वे लोग बाहर आ जाने हैं। देश में सरमायेदार सत्याग्रह करें, बैक-मार्किटियर्स और होइंडर्ज सत्याग्रह करें तो हम और आप क्या करेंगे? हम देखता चाहिए कि इस सब के पीछे भावना क्या है? मैं सरकार से पूछता चाहता हूँ कि क्यों नहीं सरकार इस तरह के सत्याग्रह के ढोग को खत्म करती है। जब सत्याग्रह करते हैं तो फूल मालाएं पहनाते हैं, तिलक करते हैं और ऐसे सब काम करते हैं जैसे उनको फासी लगने जा रही हो। अटल जी को भगवान बड़ी उम्र दे। वह भी सुवह गए और शाम को आ गए। मैं चाहूँगा कि सत्याग्रह के इस ढोग को खत्म किया जाए। अगर कोई सत्याग्रह करता

है तो उसको कम से कम दो तीन महीने के लिए आपको जेल भेजना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये सत्याग्रह करने का नाम नहीं लेंगे।

आजादी की लडाई चल रही थी उस वक्त वे अप्रेजों को चौकेदारी कर रहे थे पैरेट कर रहे थे। अब यह ढोग क्यों? मैं चाहता हूँ कि जो—दोसी लोग सत्याग्रह करने आए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगम से कोई काम नौ चल सके।

जो मुनाफावारी टैकमार्किटिंग वरने आ रहे हैं और जो मुवह जड़ा उठाकर सत्याग्रह करने हैं और पकड़े जाते हैं और शाम को छूट कर आ जाने हैं, उनमें ने अगर कोई लोग चुनकर आ जाने हैं तो वह चाहते हैं उनके बारे में आपको मोबता होंगा। देश की आजादी के लिए सत्याग्रह के निम पवित्र हथियार वो अपनाया गया था उसको किसी को खबर नहीं दिजाजत नहीं होनी चाहिए। जो गान्धीय आद्वोकेन था उस्मे इन लोगों का क्या रोन था, सब लोग जानते हैं।

नाम यह भी जानते हैं कि इनको चन्दा कैमे मिलता है। गुरु दलिणा वे नाम पर जितना ब्लैक का पैसा है यह सब इकट्ठा कर लेते हैं। उसकी आज तक कोई जान नहीं बी गई है। इनका टैक्स, सेना टैक्स वाले पना नहीं क्या करते हैं। सब जानते हैं कि कहा मे पैसा आ जड़ा है नेतृत्व कभी इनको हाथ नहीं लगाया जाता। छाट छाट और गरीब लोगों वो आर्टिस्टों को वकड़ लिया जाता है। दो तीन करोड़ रुपया साल का प्राप्तिक इनके नेताओं को चाहं लोह का लाइसेंस बंचकर होता हो, उन पर हाथ नहीं डाला जाता है। जो कम्पनी है उनको सरकार से कोई लाइसेंस भी नहीं मिलता चाहिए और जो मिले हुए है उनको जब कर लेता चाहिए क्योंकि

[**श्री शशि भूषण ]**

वे लोग अराष्ट्रीय हैं। इनको व्यापार करने की इजाजत तो आप दें। लेकिन जिस दिन आप सख्ती करनी शुरू कर देंगे आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लोग जो पैसा देने वाले हैं, जो पैसा देने वाली ताकतें हैं, वे निकल जाएंगी।

बाहर से जो इनके पास पैसा आता है उसको रोकने के लिए भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कम से कम दस पन्द्रह करोड़ सालाना आता होगा। हिन्दुस्तान में आर एस एस के पास 60 करोड़ के लगभग है। उसकी आप जांच करें। वह रुपया चाहे गुरु दक्षिणा से लिया गया हो या किसी और तरीके से, उसकी जांच होनी चाहिए। जमायते इस्लामी देश भर में जो रुपया बांटती है, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि देश में कम से कम कम्युनल रायट्स तो न हों सोशलिज्म विरोधी या पूंजीपति वादी जो ताकतें हैं उन से हम निपट लेंगे। साम्राज्यिक लोगों से हमें सबसे ज्यादा देश का अहित नजर आता है। इनको रोकने के लिए होम निमिस्टर ज्यादा तेजी से काम करें। देश की जनता ने हमें प्रबल बहुमत दिया है। हम क्यों नहीं इन पर बैन लगाते हैं, क्यों नहीं इनकी गतिविधियों को बन्द किया जाता है। सरकार को मैं इस बारे में सतर्क करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी वह यह शुभ काम करेगी उन्ना ही ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) :** समाप्ति महोदय, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो विल पेश किया है, उसके आवजेकिट्व, उद्देश्य, से मैं विलकुल सुन्तिफिक हूं। लेकिन उन्होंने अपने विल में ड्रिल और एक्सरसाइज को प्राहिविटि करने के लिए जो प्राविजन इनकार्पोरेट किया है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं कि आज हमारे देश में बच्चों के लिए ड्रिल या एक्सरसाइज की कोई व्यवस्था

नहीं है। मुझसे पहले, और मेरे वचपन में भी, कुछ एक्सरसाइज कराई जाती थी, लेकिन आजकल तो स्कूलों और कालेजों में हाकी, फुटबाल, वालीबाल या किसी एक्सरसाइज का कोई इन्टर्जाम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सरसाइज और ड्रिल से कोई नुकसान नहीं होगा। कम्युनल आर्गनाइजेशन जो कम्युनल एक्टिविटीज में इनडल्ज कर रही हैं, उनको प्राहिविट किया जाए और उसके लिए स्पेसिफिक प्राविजन लाकर पनिश्मेंट रखी जाए। लेकिन ड्रिल या एक्सरसाइज को मना करने के कोई माने नहीं हैं और इसलिए मैं इस बात को ओपोज़ करता हूं।

श्री शशि भूषण ने कहा है कि ये लोग रिजनलिज्म के आनंदोलनों में भी भाग लेने लग गए हैं। यह देखना चाहिए कि रिजनलिज्म क्यों आ रहा है। चूंकि आप लोग इन प्रावलम्ज को साल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे इसका फायदा उठा रहे हैं। जब श्री शशि भूषण जैसे प्राप्रेसिव इम्प्रेज वाले लोग जनता की मांगों का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर जनता जनसंघ और सदतन्त्र पार्टी वालों के पास जाएगी। जनता उन लोगों के पास जाएगी, जो उसकी फ़ीलिंग्ज को सपोर्ट करते हैं। आपको लोगों की फ़ीलिंग्ज को समझना चाहिए। यहां आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है। इससे आपको नुकसान होगा और आपकी पार्टी बिल्कुल फ़िनिश हो जाएगी। आप तो यह सोच कर मुत मईन हो जाएंगे कि हम रिजनलिज्म को कनडेम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ कायदा न होगा। अगर आप वेसिक प्रावलम्ज को समझें और उसको हल करने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमती सुभद्रा जोशी से रिक्वेट करूंगा कि वह इस विल पर जोर न दें। इस विल को यहां लाने का यह फायदा हुआ है कि उनका जो

आवजेन्द्रिय है, वह लोकसंघ के सामने आ गया है।

मुझे योका देने के लिए मैं आप का शुक्रिया भवा करता हूँ।

श्री एम्० रामगोपाल रहु० (निजामाबाद)  
 सभापति महोदय, मैं अपने सीनियर मेस्टर, श्री शशि भूषण के ख्यालात से इतिहास करता हूँ। लेकिन मैं उन की एक बात से इच्छालापक करता हूँ। उन्होने कहा है कि श्री रामा और श्री ममानी हमारे माननीय सदस्य, श्री पीलू मोदी, से अच्छे थे। मैं इस को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बहना चाहता हूँ कि श्री पीलू मोदी उन दोनों से लाख दर्जा अछें हैं और मैं चाहता हूँ कि वह सारी उम्र लोक ममा मेरे रहे। वह लोक सभा के लिए एसेट है। मैं श्री शशि भूषण से दरखास्त करूँगा कि कांग्रेस की नरफ से श्री पीलू मोदी के खिलाफ कैडीडेट न खड़ा किया जाये।

हिन्दुस्तान में कभी भी साम्प्रदायिकता नहीं रही है, चाहे वह अशोक और अकबर का जमाना हो, चाहे 1857 में जामी की रानी लक्ष्मीबाई का जमाना हो और चाहे जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो। लेकिन वक्त वक्त पर बुछ खुदगर्ज लोग हमारे मुल्क में इस किस्म के ख्यालात फैनाते रहे हैं, जिस का हम सब को रज है? हमारे मुल्क का बटवारा मजहब और धर्म के नाम पर हुआ। लेकिन आज भी हमारे मुल्क में कुछ सियासी पार्टीयां मजहब के नाम पर कम्यम की आ रही हैं। अगर अलग अलग पार्टीयां इकानोमिक पालिसीज और प्रोग्राम्स की लै कर काम करें और उन में कामीटीशन हो, तो इस पर किसी को एंटराज नहीं हो सकती है। लेकिन बदौकेस्ती से आज भी कुछ लोग पुराने अलानत के मुताबिक

सोचते और काम करते हैं। मुस्लिम लीग आज भी कायम है। वह पाकिस्तान में खत्म हो गई है, लेकिन हिन्दुस्तान में खत्म नहीं हुई है। इसी तरह जमाते इस्लामी भी अभी तक कायम है।

मैं मुस्लिम लीग के लोगों से अप्रृक्ष करूँगा कि अगर वह अपना नाम बदल ल, तो यह मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और उन के लिए भी अच्छा होगा। इस नाम से लोगों के सामने पराने वाक्यात आ जाते हैं। यह ठीक है कि उन्होंने डम्बई में कुछ सीटे हासिल कर ली है लेकिन यह हमेशा नहीं होने वाला है। उन्हें मुल्क की पोलीटिकल लाइक के स्ट्रीम में मिल जाना चाहिए।

SHRI C H MOHAMMED KOY<sup>A</sup>  
 (Manjeri) Jan Sangh is a good name!

श्री एम्० रामगोपाल रहु० मुस्लिम लीग के मुकाबले में हिन्दू महासभा थी। उँ जमाने में हिन्दुस्तान में गढ़बड़ करने वाली थी शार्टिया थी। हिन्दू महासभा वा नामो-निशा वा शशि भूषण जैसे लोगों ने मिटा दिया है। अगर जनसध मजहब और साम्प्रदायिकता के नाम पर बोट भागने के लिये निकलेगा, तो उस का नाम भी मिटा जायेगा।

मैं श्रीमती सुभद्रा जांगी की हम बात से डितिहास नहीं करता हूँ कि कम्युनल पार्टीज को बैन कर दिया जाये। क्या कम्युनल पार्टीज से हम सैकुलर पार्टीज नहीं लड़ सकती हैं? जनसध को मैंने हराया है और उसके उम्मीदवार की डिपार्जिट को जब्ज कराया है। 1972 के इलैक्शन्स में जनसध का एक कैडीडेट भी नहीं जीता है। कम्युनल पार्टीयों से लड़ने के लिए कांग्रेस के पास काफी ताकत है। उन को इधर-उधर जो थीड़ी बहुत कामयादी भिज रही है, वह बहुत जल्द खत्म हो जायेगी। लोग देखेंगे कि किस पार्टी को इकानोमिक प्रोग्राम्स अच्छा है और वही उस पार्टी के उस

[भी एम० रामोपाल रेड्डी]

प्रोग्राम पर अमल करने की शक्ति और नेकीनीयती भी है या नहीं।

हमारी पब्लिक बहुत होशियार और समझदार है। वह जानती है कि किस पार्टी को बोट देना चाहिए और किस को नहीं देना चाहिए, किस पार्टी पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में फ़ीडम है और इस लिए डेमोक्रेसी में किसी को बैन करना मै ठीक नहीं समझता हूँ। मुख्यमंत्री लीग रहे, जनसंघ रहे, आर० एस० एस० रहे कोई भी पार्टी रहे, हमें कोई डर नहीं है। इस वास्ते कि आधि एक मिलमा कायम कर चुका है जहा कि कोई भी कम्युनल पार्टी मफल नहीं हो सकती। छटपुट कुछ लोग बम्बई मूनिसिपलिटी में जीत गए हैं। ऐसे ही पुराने हैदराबाद में कुछ लोग जीत रहे हैं—(अध्यवधान)। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप की पार्टी को बैन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप खूँ कर आ जा। हम आप से लड़ने के लिए तैयार हैं। उसी तरह मैं जन सभ में वह रहा हूँ क्योंकि किसी के ऊपर पावनी लगाकर उससे लड़ना हम अच्छा नहीं समझते (अध्यवधान) यह मैं कहा रहा हूँ कि जितनी सैक्युलर पार्टीज हैं, भी पी आई है बाग्रेम हैं, जो सैक्युलर छूँज रखती है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि कम्युनल पार्टीज के बिलाफ अपने आडियो-लोजी को ले कर फाइट करना चाहिये और उसके लिए मासिस को तैयार करना चाहिये और मासिस तैयार हो गए हैं। आज कोई भी आदमी हिन्दू मुसलमान के नजरिये से सोचने के लिए देश में तैयार नहीं है। आज देश का आदमी यह सोचने लगा है कि आधा यह पैसे वाला है, अपने पैसे से यह गरीबों को लूटता है या किस तरह से अपने पैसे को

इस्तेमाल करता है? मुख्य के बास्ते क्या गढ़ारी करता है? अपने मुख्यके सीमेंट्स को क्या दूसरे मुख्यों तक पहुँचाता है? इस तरह की बात देश का आदमी सोचने और समझने लग गया है और यह खुश-किस्मती की बात है कि हिन्दुस्तान का आदमी होशियार हो गया है। आजन्दा से मजहब और धर्म के नाम पर बलने वाले लोगों का कुछ बश नहीं चलेगा। मुख्य में जितने भी धर्मों के लोग हैं। बेसब मिल कर आपस में एक कुनबे की तरह से रह कर अपनी जिन्दगी बिताएंगे, अपने देश का नाम बहुत रोशन करेंगे और उसे और ऊचा ले जाएंगे।

**SHRI B R SHUKLA (Bahraich):** At the outset I extend my congratulations to Shrimati Subhadra Joshi for introducing such an amendment before this House. Perhaps hon. Members have not carefully appreciated the limited purpose of this Bill. In 1972 this House passed a Bill known as the Criminal Law Amendment Bill. According to the provisions of that Act, certain type of activities indulged in by certain persons or group of persons had been banned and they were made punishable under the Indian Penal Code. All these activities which have been made penal are incorporated in section 153(B) which has been added to the Indian Penal Code.

Now, it is said that the communal organisation has probably been banned or a certain caste organisation has been banned or certain linguistic activities have been banned. My humble submission to the hon. Members would be that these interpretations are not borne out by a reading of Section 153(b). In a democracy the people have a right to propagate their views, their own philosophy, their own culture etc. But, when there are activities which are sought to be carried out in the name of religion, race or

language which create hatred or disharmony or animosity between different religious groups, racial groups or linguistic groups or which tend to create communal or racial or linguistic disharmony and violence in this country, then certainly, such activities fall within the mischief of Section 153(b). So, such persons, who indulge in such activities irrespective of their affiliations, should be punished in fact, punishment has been provided therefor in the Act

I am not discussing the merit of that Bill here as that has already been adopted. Whatever may be the quantum of punishment or the nature of punishment, that is not very much germane to the discussion of the present Bill. The question is no longer whether such activities have or have not been made penal. Now, the simple question which arises by way of a natural corollary is this. Those persons who would be punished have been proved to have committed the offence under Section 153(c). They should incur the disqualification for being chosen as a Member of the Legislature or Parliament. I think the House should unanimously accept this amendment because nobody would say that a person who has been proved to be a ring leader and who has been punished because he has been responsible for wide-spread communal, racial or linguistic trouble in this country, should be allowed to occupy the benches of this august House. I think if a dacoit or a thief or a black-marketeer who has indulged in certain criminal activities, for his own individual gains, is disqualified, why should a man who is responsible for the destruction of public property worth crores of rupees and who is responsible for the blood-shed of thousands of innocent lives in the country be given the honour of being a Member of Legislature or Member of Parliament? I think that no group or no party in this House would have the guts to defend such persons here. Therefore, my submission is this. Shri Satyanarayan Rao also said something regarding this because his memory is

still fresh with what is going in his own State. But his fears are unfounded. This has nothing to do with the punishment of persons indulging in peaceful activities for bifurcation of the State or for wanting to have one State. But if they are committing violence in the name of religion, culture or language and in league with the reactionary forces in this country and want to block the progress of the country, then they should not be allowed to do that.

Recently we witnessed some linguistic riots in Assam. The whole of Assam State was rocked by shameful and terrible riots. We also saw happening in Andhra Pradesh. Apparently the leaders of public opinion occupying seats in the responsible Houses of Parliament and legislatures are the victims of mob fury. They think that in case they raise their voice of reason against these shameless activities in this region, probably they would not be elected to these Houses and therefore they also succumb to the temptation of these very forces about which they have no words of praise. The persons who have been convicted under section 153B are likely to become heroes and come with added majority in the legislatures if this Bill is not passed. Therefore, it is necessary that after having been convicted under section 153B, they should further be disqualified for a certain period to contest the elections to the State legislatures and Parliament.

With these words I support the Bill *in toto* and I would appeal to the Government that it should be accepted as a very timely measure in this country.

श्री इं हीम सूलेमान सेंट (कोजीकोड)  
चैयरमैन माझब यहा पर एक निहायत ही  
अद्भुत विल ग्रापवे मामने मोहतरिमा सुभद्रा  
जोधी माहिदा ने पेश किया है। जैसा कि  
मुझसे पेशनर तब रीर करने वाले मेरे दोस्त  
ने कहा—इस विल का मकान निहायत ही

## (धी इस्लाम उलमान सेट)

महदूद है, एक महदूद मकसद के लिये इस विल को यहा पेश किया गया है। लेकिन जहा तक मैं देखता हूँ, इसको बहस के द्वारा उलमा दिया गया, खास कर भेरे भोहतरिम दोस्त रेहुी साहब ने कुछ ऐसी गैरज़रुरी बाते यहा पर कही हैं, जिसकी बजह से यह मकसद फौत हो गया है और ज्यादा उलमाव बहस मे पैदा हो गया है। यहा पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि पाबन्दी उन लोगों पर लगनी चाहिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, जो ड्रिल करते हैं और इस तरह से फिसाद का बाइस बनते हैं, मुल्क मे फिसाद बरपा करते हैं, खूँ-रेज़ी करते हैं, लोगों को कल्प करते हैं। ऐसे अशाखाम जो बाकई मुल्क के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह विल लाया गया है।

जहा तक इसका ताल्लुक है, हम इसको पूरा सपोर्ट देगे क्योंकि हम देखते हैं कि इस मुल्क मे ऐसे फिरकापरस्त आदमी मौजूद हैं जो अपने लोगों को, अपने नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, लाठी चलाना मिखाते हैं, चाकू चलाना मिखाते हैं, तलवार चलाना सिखाते हैं, न मालम किसके खिलाफ ऐसा करते हैं। जहा तक हमारी फोजों का नाल्लुक है, हमारी फोजे बहुत ताकतवर फोजे हैं, उन्होंने चाइना को शिकस्त दी है, उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, वे इतना बहातुर हैं कि हम उन पर पत्तमाद कर सकत हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आर० एम० एम० के नाम पर मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, तलवार चलाना मिखाया जाता है—यह गलत तरीका है, यह ऐसा तरीका है जो लोगों मे नफरत पैदा करता है, दिसी खाम फिरके के खिलाफ नफरत पैदा करता है, लोगों के दिलों को जोड़ने के बजाय उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए अगर इकदामात उठाये जाये तो गलत नहीं होगा। इस मुल्क के अन्दर

हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई सब भाई-भाई की तरह से रहें, हमारे मुल्क की तरकी के लिए कोशा हो तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन कभी-कभी गलत बात कह दी जाती हैं—जैसा रेहुी साहब ने कह दिया कि मुस्लिम लीग मे क्या किया? मुस्लिम लीग फिरकापरस्त तनबीम नहीं है, उसके पास मिलिट्री आर्मेनिशेशन नहीं है, वह तलवार चलाना नहीं सिखाती, वह बन्धूक चलाना नहीं सिखाती, लाठी चलाना नहीं मिखाती, बल्कि मुस्लिम लीग जहा जरूरत पड़ती है, आपकी मदद करती है, वहा पर मस्तहकम ढुकूमत कायम करने मे मदद करती है, और इसकी मिसाल मौजूद है। अगर इसको कोई फिरकापरस्त जमायत कहे तो हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हिन्दुस्तान का दस्तूर जम्हरियत का दस्तूर है। यहा पर मुख्लिफ भजहबों को मानन वाले लोग हैं उन के खास मुख्लिफ कल्चर वाले लोग हैं, उनके खास नजरियात हैं, उन की खास पालिसीज हैं, जिनको पेश किया जाता है और अपनी इकाई की, सैक्षण आफ पापुनेशन की इन्डिविज्युएल्टी को कायम रखन के हक मे है। हम अपनी-कल्चर की प्रोटेक्शन चाहत हैं, अपनी वैल्यूज़-इन-लाइक का कायम रखना चाहते हैं।

हालाकि यहा पर मुख्लिफ व्यवहार के मानने वाले लाग हैं मुख्लिफ कल्चर को मानने वाले लाग है, मुख्लिफ तहजीबों मे यकीन रखन वाल लाग है, मुख्लिफ जबानों को बोलन वाले लाग है, लेकिन इन तमाम को अपनी जगह बराबर तरकी का मौका मिलना चाहिये। इसके बाद जहा तक मुल्क की तरकी का सबाल है हम साथ मिल कर कोशिश करें, इत्तहाद करें। लेकिन कभी कभी गलत बात कह कर चीज को उलझाने की कोशिश करना मुनामिब बात नहीं है।

जहा तक मैं समझता हूँ—मोहतरमा सुभद्रा जोशी जी ने मुस्लिम लीग का चिक्र नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि हमारी

तनज्ञीन मे कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नही होती, तलवार चलाना नही सिखाया जाता, लाठी चलाना, बन्दूक चलाना नही सिखाया जाता । जिन भेम्बरान ने इस बिल की हिसायत की है, किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ नही कहा, लेकिन रेही साहब ने मालूम नही क्यो उलझा दिया ।

जितनी तकरीरे हुई हैं, सब ने यही कहा कि इस बिल का मकसद महहूद है, इसके जरिये किसी पार्टी को बैन करने का सवाल नही है, इस लिये खामखाह उलझा देना, टकराव पैदा करना अच्छी बात नही है । जहा अच्छी फिजा पैदा होती है, लोग इत्तमान के साथ जिन्दगी गृजारना चाहते हैं, वहा इस किस्म की बाते कहना कौमी इन्टरेस्ट मे नही है और ऐसी बातो की हमे मुखालफत करनी चाहिये ।

कोई बिल अगर विसी नेक-मक्सद के लिये आता है तो हमे ज़रूर उसको सपोर्ट करना चाहिये, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जायेगा तो हम ज़रूर उस की उसकी मुखालफत करें । यहा यह सवाल नही है कि मुस्लिम लोग कमानल आर्मी-निजेशन है, बल्कि हम उसके किरदार मे उसको जज करना चाहिये । जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको नेशनल कहना और जब ज़रूरत नही है तो उसका कम्प्युनल कहना—यह गलत बात है—

कावा किम मुह म जाओगे गालिब  
शर्म तुम का मगर नही आती ।

इस किस्म की बाते कह कर क्या आपको शर्म नही आती । एक तरफ हम का कोम-परस्त कहते हैं, दोस्ती वा हाथ बढ़ात है हमारा साथ लेकर हुक्मत कायम करने हे आर फिर यहा आकर कहते हैं कि हम कम्प्युनल है—शर्म तुमको मगर नही आती ।

मै प्राप्तमे यही आज्ञ करना चाहता हूँ कि इस बिल का जो मकसद है वह बहुत महहूद

है, उस को समझना चाहिये, सोबने की कोशिश की जानी चाहिये, अगर ऐसी जमायतें, ऐसी तनज्ञीन हैं जो बाकई मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, फौजी ड्रिल सिखाती हैं, मुल्क मे फिसाद कराना चाहती हैं नफरत फैलाना चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । लेकिन जो अमनपसन्द तनज्ञीम हैं, जो अपने नज़रियात को पेश करती हैं, अपनी इन्डिविजएल्टी को कायम रखना चाहती हैं, अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे ।

### [شروع ابراهیم سلیمان سٹافٹھو کو جو]

عوقد)]] نے چیئر مین صاحب- بہار پر ایک نہایت ہی اہم مل آپ کے سامنے مختارمہ سیدھرا حوشی صاحب نے پیش کیا ہے۔ جیسا کہ متھے سے پیش تر تقدیر کرنے والے مددے دوست نے کہا ہے اس مل کا مقصد نہایت ہی محدود ہے۔ اور اس محدود مقصد کے لئے اس بل کو بہار پیش کیا کیا ہے لیکن جہل سک میں دیکھہا ہوں اس مل کے مقصد کو بحث کے دوران الحجہا دیا کیا ہے خاص ہے میرے محض دوست دیکنی صاحب ہے کچھ ایسی مدد صرودی باتیں بہار پر کہی ہیں۔ حس کی وجہ سے اس مل کا مقصد ہی بوت ہو گیا ہے۔ اور دیادہ الحجہا بحث میں پیدا ہو گیا ہے۔ بہار پر خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پالندی ان لوگوں پر تکلی چاہئے جو ملتی تریلک

[شروع ابراهیم سلیمان مدتھے]  
 دیتے ہوں۔ جو قول کوتے ہوں لے اسی  
 طرح سے فساد کا باعث ہاتھ ہوں۔  
 ملک میں فساد برپا کرنے ہوں خون  
 (ذبیح) کوتے ہوں لوگوں کا قتل کوتے  
 ہوں۔ ایسے اشخاص جو واقعی ملک  
 کے دشمن ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی  
 کرنے کے لئے یہ بیل لایا کیا ہے۔

جهان تک اس مقصد کا تعلق ہے ہم  
 اس کو پورا سبوروت دیلگئے۔ کیونکہ دیکھپڑے ہیں کہ اس ملک میں ایسے  
 فرقے پرست عذاصر موجود ہوں۔ جو  
 اپنی جماعت کو پہنچو نور کو“ملکتوں  
 تربیلگ دینے ہوں لانہ سکھاتے  
 ہوں۔ چافو چلانا سکھاتے ہوں نلوار  
 چلانا سکھاتے ہوں۔ نہیں معلوم کس کے  
 خلاف کیا جاتا ہے پہاں تک  
 ہماری فوجوں کا تعلق ہے ہماری فوجیں  
 بہت طاقتور ہوں۔ انہوں نے چائلڈا  
 کو شکست دی ہے۔ انہوں نے پاکستان  
 کو شکست دی ہے۔ وہ اتنے بہادر  
 ہیں کہ ہم ان پر اعتماد کر سکتے  
 ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ  
 آر۔ ایس۔ ایس۔ کے نام پر ملتیں کی  
 تربیلگ در جاتی ہے۔ اتنی چالا  
 سکھانا جاتا ہے تلوار چلانا سکھایا جاتا  
 ہے۔ یہ غلط طریقت ہے۔ یہ ایسا طریقتہ  
 ہے اس طرح لوگوں کے دلنوں  
 کو جذبہ کی بجائے اس کو تجزہ کی  
 کوشش کرتا ہے۔ اس کے لئے گور

اتھے چائیں تو غلط نہیں ہوگا لہ لس  
 ملک کے اندر ملدو مسلمان سب  
 مسلمانی سب بھائی بھائی کی طرح  
 دھیں ہمارے ملک کی توقی کے لئے  
 کوشش ہوں تو ہم پوری طرح ان کے  
 ساتھ ہیں۔ لیکن کبھی غلط باتیں کہے  
 دی جاتیں ہوں۔ جوہراً یقین صاحب  
 نے کہہ دیا کہ مسلم لوگ یے کہا  
 کیا۔ مسلم لوگ فوقہ پرست نتجمہم  
 نہیں ہے۔ اس کے پاس ملتیوں  
 آرگھانہائیں نہیں ہے۔ وہ تلوار چلانا  
 نہیں سکھاتی۔ وہ بلدوں چلانا نہیں  
 سکھاتی۔ بلکہ مسلم لوگ جہاں  
 ضرورت یوتی ہے۔ وہاں پر مستعد  
 حکومت قائم کرنے میں آپ کی مدد  
 کوتی ہے۔ اور اس کی مثال موجود  
 ہے۔ یہاں پر مختلف مذہبوں کو  
 مالکے والے لوگ بستے ہوں۔ مختلف  
 کلچر والے لوگ ہیں۔ ان کے خاص  
 نظریات ہیں۔ ان کی خاص پالسیز  
 ہیں۔ جن کو پیہن کیا جاتا ہے اور  
 اپنی آٹھی کی۔ سیکھن آؤ۔ پاپولرتو  
 اند یونیورلٹی کو قائم رکھنے کے حق  
 میں ہیں۔ ہم اپنی کلچروں کی  
 پرتویشن جاہتے ہیں۔ اپنی ویباڑوں  
 ان لائفہ کا قائم رکھنا چاہتے  
 ہیں۔

حالانکہ یہاں پر مختلف بہوہاں  
 کے مالکے والے لوگ ہیں۔ مختلف  
 کلچر کے مالکے والے لوگ ہیں۔  
 مختلف تہذیبوں میں یقین دعویٰ

واللے لوگ ہوں۔ مختلف باتوں کو بولنے والے لوگ ہوں۔ لیکن ان تمام کو اپنی جگہ بواپر ترقی کا موقع ملنا چاہئے۔ اس کے بعد یہاں پر ملک کی ترقی کا سوال آتا ہے ہم سب ملکوں کو شہر کریں۔ اتحاد پیدا کریں لیکن کبھی کبھی غلط باس کبھر چھوڑ کو الجہانی دی کو شہر کونا مناسب بات نہیں ہے۔ کہ جاماعت غلط ہے مسلم لوگ فرقہ پورست ہے اس پر پابندی لکھی چاہئے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ مختلفہ سبھدرا جوشی نے مسلم لوگ کا ذکر نہیں کوا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہمارا تنظیم میں کوئی ملتیں تربیل لکھ نہیں ہوتی۔ تلوار چلاتا نہیں سکھایا جاتا۔ لاتھی چلاتا۔ و بدروق چلاتا نہیں سکھایا جاتا۔ جن سبھدرا نے اس بل کی حملیت کی ہے کسی نے بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہی صاحب نے معلوم نہیں بہت کو غلط غلط باتوں کہ کو الجہا دیا ہے

جتنی تقریبیں ہوتی ہیں۔ سب نے بھی کہا ہے کہ اس بل کا مقصد محدود ہے۔ اس کے ذریعہ کسی پاٹی کوہیں کرنے کا سوال نہیں ہے۔ جیسا کہ تھا یہ ہے تو خواہ مختصر تباہ پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں اچھی فضا پیدا ہوتی ہے لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں اس نے

کی باتیں کہنا قومی التحریک میں نہیں ہے۔ اور ایسی باتوں کی ہمیں مخالفت کرنی چاہئے۔

کوئی بل اگر کسی نیک مقصد کے لئے آتا ہے تو ہمیں فرود اس کو سہوڑتا کرنا چاہئے۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے کہ تو ہم فرود اس کی مخالفت کریں گے۔ یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مسلم لوگ کمیونل اور لاٹریٹیوں ہے ہماں نہیں بلکہ ہمیں اس کے کردار سے اس کی پالپسی ہے امن کو سمجھنا کی کو شہر کرنی چاہئے جب فرودت ہلاتی ہے تو ہم کو بھسلن کہنا اور جب فرودت نہیں ہے اس کو کمیونل کہنا غلط بات ہے۔

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی

لوگ طرف ہم کو قوم پرست کہتے ہیں۔ دوستی کا ہاتھ بوہاتے ہیں۔ عمارا سہارا لبکر حکومت قائم کوتے ہیں اور پھر یہاں کو کہتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔

میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کا جو مقصد ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس کو سمجھنا چاہئی۔ سوچنے کی کو شہر کرنی چاہئی۔ اگر ایسی جماعتیں۔ ایسے تنظیمیں ہیں جو دائمی ملتیں

[شہری ابہا م ساہان سیٹیو] توبیلک دہتی ۔ ھن - فوجی قتل سکھاتی ہے ۔ ملک میں فساد کرانا چاہتی ہیں - نفوذ کرانا چاہتی ہیں ان نے خلافت کارروائی ہونی چاہئی ۔ ہن جو امن پسلد تظیم ہے جو اپنے نظربات کو پہن کرتی ہیں اپنے فرقے کے وجود کو قائم رکھنا چاہتی ہے ۔ اپنے کامہد کی پروتیکشن چاہتی ہیں ۔ اگر ان نے خلافت کارروائی کرے کی کوشش کی جائیگی تو ہم اس کی مدد لئتے کوئی ناگزیر ۔

श्री मुहम्मद जरीलुरहमान (किशगज) .  
 मोहतरिम सदर, मोहतरिमा पुमशा जोशी  
 जो को जितनी भी मुवारकवाद मेरी छोटी  
 सी राथ में दी जाय, वह बहुत कम होगो ।  
 हिन्दुस्तान में, कम मे कम इस सदन में वह  
 पहली मोअज्जिज चानून है जिन्हान  
 हिन्दुस्तान को एकता वरकरार रखन  
 के लिए बहुत से काम किये हैं और यह  
 उन की देन है कि दफा 153 ग्राउं पी० सी०  
 मे तबदीली नाई गई । इस मब रा इमार लिए  
 उन का मशकर होना चाहिए ।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उस विन का  
मक्सद महीं मायना मे बहत महदूर है।  
यह बात हमारे प्रारंभ इन्होंना न सा कही  
है, लेकिन माथ द्वी पथ इग बात का जिमरण  
कि इन्हें उन्होंना मे अमन गायम हा इन्हें उन्होंना  
मे मारे लाग चेन की जिन्दगी गुप्तार, ना;  
अमरामान हो, इच्छित हो, वसवत हो,  
, दृश्य हो मारे लाग रात को आगम का  
नीद मा रुक, उमी बात को महेनजर रखो  
इस दिया 153 को एमेंटमेंट का गई  
।

हम लोग पर ग्रस्तर यह इलजाम लगाया जाता है कि हम लोग यहां भारी बहुमत से आ गये हैं - वा ककई यह बात सही है कि

हम लूटनी भारी तादाद में आये हैं। लेकिन  
इन्होंने छोटे से असरों में जितने का मूल लोगों  
ने अपनी जनता के लिए किये हैं उन में यह  
भी एक बहुत बड़ा काम है कि हिन्दुस्तान  
में अमन को बरकरार रखा जा सके, ताकि  
पूरा हिन्दुस्तान तरक्की कर सके। अगर  
इस में कोई बाधा डालते हैं, दबलन्दाजी  
करते हैं तो मैं सरकार से कहूँगा —चूँकि  
मेरो अपनी सरकार है —सरकार को पूरी  
तनदेही से काम नेता चाहिए, वाहे वह  
कोई फरार हो, पार्टी हो या कोई भी पार्टी से  
ताल्लुक, रखता हो !

३१ में अर्ज कर हा था कि लाकन की लडाई कोई नई लडाई नहीं है, कुर्सा हासिल करने के लिए कोई नई लडाई नहीं है।

आप देखेंग कि उस जमाने में याति हिन्दू पीरियड में भी लटाइया हुई है, भाई ने भाई का गना घोटा है। मुसलमान पीरियड को भी यही हालत रही है। जयचन्द्र का एक मशहूर वाक्या है। आरागंजेव के बक्स में यह बातें हुई हैं। जगे आजादी के माके पर 1857 में ऐसे वाक्यात हुए और ऐसे ही लोग जिनको कानूनी हवद में नाना चाहते हैं, उस बक्स भी थे। उनकी रुद्धे अभी भी भारत में रह गई हैं। मिसाल के तार पर फाज में मुस्लिम सेक्युरिटी से कहा गया है कि मुवर्र की चर्ची है कारतुस दान स मन खोता आर हिन्दू में कढ़ा गया फिडमें गाय का चर्ची है, दान में मन खोता। निहाजा जगे याजादी को उन बातों से धक्का लगा। आजनक उम किसी कुरानिया दे चुके हैं यह छिपो बात नहो है। हद तो यह हो गई फिइसी दिल्ली में महात्मा गांधी को गोलीका निशाता लनाया गया। वह ऐसे ही लोग थे। उन्ही लोगों के लिए ऐसी पापबद्धी आयद करने की बात कही गई गई है। अगर ऐसे लोग एलेक्ट होकर आयेगे, चाहे पालमेंट में, स्टेट अमेंब्लिया में या स्टेट काउसिल में तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस बक्स इस मुक्त के लोगों का क्या हगर होगा? इस मुक्त की

तरक्की का क्या हंशर होगा और इस मुल्क के लोग कैसे जिन्दा रहेंगे ? इसलिए बहुत ही मुनासिब बहत में श्रीमती सुभद्रा जोशीजी ने यह अमेन्डमेंट यहां पर रखा है और इसको गानने में सरकार को एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये वर्त्तक फोरन मान लेना चाहिये और उसके बाद फोरन उसपर अमल करना चाहिए ।

श्रीमती सुभद्रा जोशीजी कह रही थी कि वे गोड़ा तशरीफ ले गई थीं, वहां पर धर्म के नाम पर कितने लोग मारे गए, असम में जबान के नाम पर कितने लोग मारे गये और गाची में किनने मुसलमान मारे गए । इन बातों में इस मुल्क की तरक्की किस तरह से रुकती है, इसका अन्दाजा आप इस बात से लगाये कि एक मिनट में 50 टन लोहा इस मुल्क में निकलता है, यह स्टैटिस्टिक्स बतलाती है । फिर किनने दिन एच ई सी का कारखाना बन रहा और किनने मजदूरों की रोजी छीनी गई है । इसलिए एक सेक्यूलर स्टेट में ऐसे लोगों की जन्मत नहीं है जिनका नज़रिया यह हो कि जबान के नाम पर लोगों को मारे, मजहब के नाम पर ममलमानों को मारे, राजन के नाम पर लोगों को मारे, किसी और चीज का वहाना बनाकर मारे—ऐसे लोगों की भारत में जरूरत नहीं है । बल्कि भारत में ऐसे लोगों की जरूरत है कि अगर आज तक कदम आगे चरे तो उन दस कदम और परमों सौ कदम आगे जल ताकि बाहर के मुल्क जा हमारी नरक रेखने हैं जो उग मुल्क में गढ़ती पैदा करना चाहते हैं वह कामियाव न. हो सके ।

पिछलो बार पार्टीमेंट में इस गया था कि सी आई की बड़ी भर्चा हाँ और यश भूषणजी ने भी उसका जिक्र किया है । अधिकार इननी गडबडिया लिमकी शह पर हो रही है जब तक फि किसी वाहरी मुक्त का उसमें हाथ न हो जिनको कि यह तरक्की प्रसन्द न आती हो । जिस तरह से 1857 में किसी को गया के नाम पर, किसी को सुबर के नाम पर अलाहिदा कर दिया गया था, उसी

तरह की चीज आज भी जारी है ताकि उनके जबादस्त पञ्च की छाप हमारी एकोनामिक और सोशल जिन्दगी पर पड़ती रहे और उनके हम गुलाम रहें । इसलिए अब बहत ऐसा आ गया है कि सुभद्राजी का जो अमेन्डमेंट है उसको फोरन मान लेना चाहिए और जो कानून 153 (बी) पहले पास हुआ है उसको लागू करने में देर न की जाये । कोई भी हो इस तरह का जहर फैलाता है चाहे जबान के नाम पर, चाहे रीजन के नाम पर और चाहे हिन्दू मुसलमान के नाम पर उसको कानून की जद में लेना चाहिए ताकि सेक्युलर हिन्दूस्तान का जो नकाशा है उसमें हमारे कास्टीट्यूशन के मातहत हर आदमी को खाने कमाने और काम करने की आजादी बरकरार रह सके और इस मुल्क में कही भी देंगे फसाद होने के बजाय हमेशा अमन और चैन रहे । इस लिए मैं बजीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यह दोनों बातें होनी चाहिए । 153 बी दफा आई०पी०१० को फोरन लागू करना चाहिए और सेक्षण के फेम में चाहे रीजन के नाम पर रेलिजस नाम पर, रेशियन नाम पर, लेंग्बेज के नाम पर, कास्ट के नाम पर या कम्युनिटी के नाम पर जितने लोग आने हैं उन पर बिल्कुल काननी पाबन्दी आयद कर देनी चाहिए और साथ भाथ पीपुल्स रिप्रेजेण्टेण्ट एक्ट में अमेन्डमेंट की जो गुजारिश की गई है उसको भी फोरन मान लेना चाहिए चैक पार्टीमेंट का साइटेल आफ डिस्क्रीकोनी का जाना है वह ऐसी जगह है जहां से मारे देंगे में राशनी पड़नी है । इसलिए आग भी जर्वे हैं वि इस अमेन्डमेंट का फोरन मज़र १८८४ जाना चाहिए ताकि राशनी परे दा म जाकर फैस सके ।

[شروع مدد حمدل الرحمن]  
(کشن گلچخ): مدد حمدل الرحمن صدر۔ مدد حمدل الرحمن سید احمد جو شیعی کو حمدلی میں مبارکہ کیا  
مدد حمدل الرحمن سی دلے میں دی جائے  
وہ بہت کم ہو گئی۔ ہندوستان میں  
لئے سدن میں وہ بھلی معزز خواندن

[شروع محدث جملہ اور حکم]  
ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ایکتا  
بوقاڑ دکھ کے لئے بہت سے کام کئے  
ہیں۔ یہ ان کو نہیں ہے کہ دفعہ  
۱۵۳ میں آئی بی۔ سی۔ میں جو  
تمدیلی لائی کئی ہم سب کو اس کے  
لئے ان کا مشکوڑ ہونا چاہتے ہیں۔

میر عوف کرنا چاہتا ہوں کہ  
اس مل کا مقصد صحیح معلوم میں  
بہت محدود ہے۔ یہ بات ہمارے اور  
دوستوں نے بھی کہی ہے۔ لیکن ساتھ  
ہی ساتھ اس بات کی زمینداری کے  
ہندوستان میں امن قائم ہو ہندوستان  
میں سارے لوگ چون کی ڈنگی  
کڑا دین چاہے مسلمان ہوں۔ ہری جن  
ہوں۔ بیکوڑہ ہوں۔ تراں ہوں۔  
سارے لوگ وات کو آرام کی نیکی  
سوئیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے  
ہوئے اس دفعہ ۱۵۳ ایں کی امید ملت  
کی کئی تھی۔

ہم لوگوں پر اکثر یہ الزام لکایا  
جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں بھاری  
اکثریت سے اکٹھے ہیں۔ والغی یہ بات  
صحیح ہے۔ کہ ہم اتنی بھاری تعداد  
میں آئے ہیں۔ لیکن اتنے چوتھے سے  
عرصے میں جتنا کام ہم لوگوں نے اپنی  
جلتنا کے لئے کئے ہیں ان میں یہ  
بھی ایک بہت بوا کام ہے کہ ہندوستان  
میں امن کو بوقاڑ دکھا جاسکے۔ تاکہ  
بودا ہندوستان ترقی کرسکے۔ اگر ہم  
اس میں کوئی بادھا ڈالتے ہیں۔

دخل الدائی کرتے ہیں تو میں سرگار  
سے کہوں گا ہو کہ میں اپنے سرگار  
ہے۔ سرگار کو پوچھ تلذیح سے کام لہذا  
چاہئے چالہ کئی فریق ہے۔ پلاٹی  
ہو۔ یا کسی بھی پلاٹی سے تعلق  
رکھا ہے۔

میں درج کردہا تھا کہ طائف  
کو لوائی کوئی نئی لوائی نہیں ہے۔ آپ  
دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یعنی  
حلہ پوریت میں یہ لوائیاں ہوتی  
ہیں۔ بھائی نے بھائی کا لٹا کیوں تھا۔  
مسلم پیغمبر کی بھوپی یہی حالت  
دھی ہے جسے چند کا ایک مشکوڑ واقعہ  
ہے۔ اونکرتب کے وقت میں یہ باتیں  
ہوتی ہیں۔ جلد آزادی کے موقعہ  
جو ۱۹۴۷ء میں ایسے واقعات ہوتے  
ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ جن کو  
قانونی حد میں لانا چاہتے ہیں۔  
اس وقت بھی موجود تھے۔ ان کی  
روجھیں ابھی بھی بھارت میں دیکھیں  
ہوں۔ مثال کے طور پر فوجیں میں مسلم  
سپاکشن سے کہا گیا کہ سود کا کوشش  
دالیں سے مت کھلچو۔ اور ہادو سپاکشن  
سے کہا گیا کہ اس میں کائے کی چوبی  
سے داڑتے ہے مت کے بنتو۔ لہڑا جلد  
آزادی کو ان باتیں سے دھکا لکا۔ اج  
تک ہم جتنی قربانیاں دے چکے ہیں  
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حد تو یہ  
ہوئی ہے کہ اس دلی میں مہاتما  
گاندھی کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔  
وہ ایسے ہی لوگ تھے۔ انہی لوگوں

کے لئے ایسی پاندھی مائد کرنے کی بات کہی گئی ہے اگر اسے لوگ ملتفظ ہو کو آیں گے۔ چاہے پارلیمنٹ میں ہے۔ ستھت استبلی میں ہے۔ یا استھت کونسل میں تو آپ اندازہ لٹا سکتے ہوں کہ اس وقت اس ملک کا کیا حشر ہو گا۔ اس ملک کی ترقی کا کیا حصہ ہو گا۔ اور اس ملک کے اوک کوئی زندہ دھن کے اس لئے بھت ہی ملا سب وقت میں شریعتی سہبڑا جوشی جی نے یہ امید مہنت بھاں پر دکھا ہے۔ اور اس کو ملتی ہیں سوکاں کو ایک مدت کی بھی دیر نہیں کوئی چاہئی۔ بلکہ فوراً مان لیتا چاہئے اور اس کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا چاہئے۔

شریعتی سہبڑا جوشی جی کہہ دھی تھیں کہ وہ گوندا تشویف لے گئیں تھیں۔ وہاں پر دھرم کے نام پر کتلے لوگ مارے گئے۔ آسام میں زبان کے نام پر کتلے لوگ مارے گئے۔ دانچی میں کتلے مسلمان مارے گئے۔ ان باتوں سے اس ملک کی ترقی اس طرح سے وکٹی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لاثمن کہ ایک مدت میں ۵۰ تن لہا اس ملک میں نکلتا ہے۔ ستھتستھکس بتلائی ہے پھر کتلے دن ایج۔ ای۔ سی۔ کا کاخانہ بند رہا اور کتلے مزدوروں کی دوڑی جوں گئی۔ اس لئے ایک سیکولر سنت میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کا نظریہ ہے کہ زبان کے نام پر لوگوں کو ماریں۔ مذہب کے نام پر مسلمانوں

کو ماریں۔ علاقے کے نام پر لوگوں کو ماریں۔ ایسے لوگوں کی بہادرت میں ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کی بہادرت میں ضرورت ہے کہ اگر آج ایک قدم اگے چلیں تو کل دس قدم اور پرسوں ۱۰۰ قدم اگے چلیں۔ تاکہ باہر کے ملک جو ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ جو اس ملک میں گھبڑا پیدا کرنا چاہئے ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔

یچھلی بار پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ سی۔ آئو۔ اے۔ کی بتو چرچا ہے اور ششی بہوشن جو نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آخر اتنی گوبھی کس کی شہ پر ہو رہی ہے۔ جب تک کہ کسی باہری ملک کا ہاتھ نہ ہو جس کو کہ اس ملک کی ترقی پسلہ نہ آئی ہو۔ جس طرح سے ۱۸۵۷ء میں کسی کو کائی کے نام پر کسی کو سووو کے نام پر علیحدہ کو دیبا کیا تھا۔ اس طرح کی چیز آج بھی جاری ہے۔ تاکہ ان کے ذریعہ پانچھ کی چھانپ ہماری ایکلومک اور سوچل ڈنگی پر پوتی ہے اور اس کے ہم علم دین۔ اس لئے وقت ایسا آ گیا ہے کہ سہبڑا جی کا جو امید ملت ہے اس کو فوراً مان لیتا چاہئے۔ اور جو فابریں ۱۵۳ بی پہلے پاس ہوا ہے۔ اس کو لکو کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ کوئی بھی ہو اس ملک میں جو اس طرح کا ذہر

[شیعی محمد جمیل الرحمن]

پہنچاتا ہے۔ چاہئے زیبل کے نام پر چاہئے علاقے کے نام پر۔ چاہئے ملدو مسلمان کے نام پر اس کو قانون کی ذمہ میں لیتا چاہئے تاکہ سوکولر ملدوستان کا جو نقشہ ہے اس میں ہمارے کانستیٹیوشن کے ماتحت ہر آدمی کو کہانے کمانے اور کام کرنے کی ذاتی برقرارارہ سے اور اس ملک میں کوئی بھی دنگے فساد ہونے کی بحالی حمیشہ امن اور چون دھر۔ اس نئے میں وزیر صاحب سے گزارہ کوتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہونی چاہئیں ۱۵۳ اسی دفعہ آئی۔ پی۔ سو۔ کو فوراً لگو کرنا چاہئے۔ اور شکشن کے فریم میں چاہئے علاقے کے نام پر مذہب کے نام پر نسل کے نام پر زبان کے نام پر ذات کے نام پر یا فرقہ کے نام پر جنمے لوگ انہیں ان پر بالکل قانونی پابندی ٹاید کر دیلی چاہئے۔ اور ساتھ سارے بیویوں دیوبونتھوں ایکت میں امن مددمنٹ بل کی جو گزارہ کی کٹی ہے اس کو بھی فرداً مان لینا چاہئے۔ بیونکہ پارلیمنٹ کو سے نہیں آف بودو / بھی کہا جانا ہے وہ انسی جکہ ہے ہمارے سارے دیہن میں دوستی پہنچھی ہے۔ اس لئے وہ پرورد ہوئی فردوادی ہے کہ اس امنمنڈمنٹ کو فوراً ممنظور کہا جانا چاہئے۔ تاکہ دوسری پیوں دیہن میں چاکر پھیل سکے۔

श्री गद्या दीपक सिंह शास्त्रीय (कामग अ)  
सचापति महोदय, श्रीमति सुभद्रा जोशी जो ने जो

विषेयक यहां पर प्रस्तुत किया है वह बिलकुल ही निरर्थक और निराधार है। किसी भी हाउस में जब हस प्रकार का कोई अमेन्डमेंट बिल आता है जिस में राष्ट्र का हित हो तो वह कोई दूरी बात नहीं है लेकिन जब कोई ऐसा बिल सदन में पेश किया जाए जिसके पांचों कोई दल-गत भावनाएँ हो, जो प्रत्यक्ष रूप से दलगत भावनाओं से अतिप्रोत हो, जैसा कि अभी मैंने प्रस्तावक महोदया के भाषण में स्पष्ट पाया है तो वह बिल पार्टीगत दृष्टि से या निजी दृष्टि से हिनकर हो सकता है परन्तु मानवजनक हित को दृष्टि में रखने हुए लोकतन्त्र के लिए हिनकर नहो हो सकता है। मुझ से पूर्व बहुत से माननीय महायो के अपने विचार यहा प्रस्तुत किए। भिन्न भिन्न प्रकार की दलगत भावनाओं से अतिप्रोत इन डाइरेक्ट्वे में यहां पर छोटा कसी की गई। अभी मादरणीय शशी भूषण जी ने दहुन से विरोधी दलों के चाकोदारों के नाम चिनाएँ, मुझे खुशी है लेकिन दुब्ल इस बात का है कि जिन्होंने फर्सुनत इयम अप्रेंज के पीछे चलने वाले शिकारी कुत्तों का जिक्र नहीं किया जो कानून की आड़ में लोनत का शिकार कर रहे हैं ० ० (ध्यवधान) बस कुत्ते हैं ऐसा मान लिजिए, पकड़न वा मवाल नहीं है मैं एक बात मापम निवेदन करना चाहताहूँ कि यह बिल जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भाषा विवाद को लेकर, सामन्वयिकता जातिवाद, धर्मवाद को लेकर कोई ऐसा मनमेद जनना म उत्पन्न करना है जिससे हमारे राष्ट्र जा याहू होता है तो यह बात अपनी जगह पर महा है कि उम बात का मानने से हम इन्कार कर द प्रारंभ होता भी चाहिए लेकिन काव्य विना गिरण कर्मा नहीं होता। क्या कभी आपने साचा कि इमका कारण क्या है? इनका जननदाता कान है और उसको दूर करने के लिए कोनमा आपके पास मापक यत्न है जिसमें आप जान जाए और उसमें सुधार लाए। अच्छा होता आप कोई बिल ऐसा पेश करते जिससे भारत में एक जाति होती, भारत का एक धर्म होना और भारत की अपनी एक भाषा होनी। हम नहीं समझते

कि ऐसा बिल यहां पर लाने की कोई आवश्यकता थी। लेकिन वह नहीं हुआ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्राइम कीन करता है, साम्प्रदायिकता कीन फैलाता है, यह कोई नयी बात नहीं है। हाउस में हमेशा इस पर चिचार होता रहा है, इस पर वक्तव्य आते रहे हैं और हमेशा हमने इस बात की माग की कि सब में पहले आपको यह निश्चय करना होगा साम्प्रदायिकता नाम का विषय क्या है।

किसी पार्टी लिंगेष का साम्प्रदायिक कह देना, किसी सगठन को सम्प्रदायी कह देना यह नीति की बात नहीं है। आप को समझना होगा कि जिस साम्प्रदायिकता के पीछे आप जा रहे हैं वह क्या चोज़ है। यदि नहीं समझेगे तो आप उसका इनाज नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं निकाल सकते जससे आप मुक्ति पा सके।

माननीया सुभद्रा जौधी ने गोडा का उदाहरण पेश किया था कि जब वह गोडा में गयी तो आर० एस० एस० के लोगों ने झगड़ा करा दिया झगड़ा कभी साम्प्रदायिक नहीं होता, कोई सगठन नहीं करता। झगड़ा हमेशा व्यक्तिगत हुआ करता है और वह झगड़ा जाने वाला किसी भी पार्टी या धर्म वा हा सहना है। और कहीं का भी निवासी हो सकता है। इसलिए आपने गोडा में जाना आर० एस० एस० के अधिकारी का तो मवधन बचा, लेकिन यू०पी० में सहावरजिला लंटा म भी आपने दखा है? कि वहा वह हुआ है जहा पर हारिजनों पर हस्तिग पार्टी के प्रति निषेद्ध के परिवार का तरफ से इतन अत्याजार फिर गए कि उन्होंने एक महीने तक डी० एम० के यहा भूख हड्डताल की। वह कान थ? याद उसका भी वह अकरनों ता मुर्जे खुशी हारी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी भी सम्प्रदाय

संगठन या पार्टी या किसी जाति और धर्म से सम्बन्धित हो सकता है,। लेकिन यह नहीं हो सकता कि वह स्लिंग पार्टी या एक व्यक्ति जो इसलिए सारी स्लिंग पार्टी हो गेसी ही है। यह नहीं कहा जा सकता कि आर० एस० एस० के किसी गदे आदमी ने कोई गलत काम किया है तो आर० एस० एस० या जनसंघ उसके लिए जिम्मेदार है। यह कदायि नहीं हो सकता। आर० एस० एस० या जनसंघ पर हमेशा ब्लेम लगाया जाता है कि वह हिन्दू मुसलमान में बेदबालव पैदा करते हैं। मैं अब जरना चाहूगा कि जब पश्चिमी पाकिस्तान का हम विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, लेकिन जब बगला देश की मान्यता के लिए मत्याप्रह करते हैं तो आप हमको क्या सकते हैं? मुद्राविकात की देंगे या नकरत की देंगे इस लिए किसी व्यक्ति विशेष के कार्य को लंकर किसी को बदनाम किया जाए यह उचित बात नहीं है।

कहा गया है कि राजनीतिक सत्ता को हृषियाने के लिए कुछ दल ऐसे क्राइम किया करते हैं। यथा सभी मदम्य चुन कर आ रहे हैं ये उनमें पूछता हूँ कि क्या आज बोट छड़े के आधार पर लिए जा सकते हैं? हरगिज नहीं। आज बोट भिन्ना है महद्वयता से। इस लए इस प्रकार का मनोवृत्ति इस बिन के पोछे नार्द गयो है वड मर्दवा निगद्धार है।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि दश की भाषा धर्म, जा०। इन पे कोई भी इश का नामांकन नहीं दिया जा रहा है। वह किंग ना रूपी जानि, भाषा, आरा धर्म वा मानन जाना हुआ। यह ना द्याया मि० गन रा० रा० है एक इसको भवनता हानी न रा०। मरि० उचार स इस पित का ला० रा० नर यह है कि इस स्वतंत्रता पर मा० रा० नगाया जाए। लेकिन इस प्रकार के प्राविजन दड सहिता में बहुत से हैं जिम ए द्वारा एने हो प्रतिवन्ध जगा हुआ है कि किसी व्यक्ति का यदि नैतिक पतन हो जाता है। तो वह चुनाव लड़ने के लिए हमेशा के

लिए शंखोदय भाना जाता है। तो ये इस प्रकार की तरीम धाराएँ हो, अधिनियम हीं कि ऐसे विलों को लाने की क्या आवश्यकता है? इस लिए जो बिल भाननीय सदस्या ने पेश किया है यह सार्वजनिक दृष्टि से सासाहायक नहीं है वह बिल उनकी निवी भावनाओं को प्रदर्शित करता है कि इस बिल के पीछे उन की क्या आवाजाएँ हैं। इसलिए यह बिल दूसरे लों पर झुठारावास करने की दृष्टि से ही यहां सदन में लाया जाया है, और इसका कोई भरंगब नहीं है। अतः यह बिल निर्खल भीर निरसावार है इस लिए बिल का घोर विरोध करता है।

**SERI C. H. MOHAMED KOYA** (Madajer): Mr. Chairman, I do not find anything seriously objectionable in the Bill moved by Shrimati Subhadra Joshi. In the statement of objects and reasons to the Bill and in her speech, the Mover made very clear the purpose behind it, but some of the speakers who supported the Bill have in their anxiety transgressed the limit and made unnecessary attacks on certain parties including the Muslim League.

Shri Reddy who comes from Andhra was attacking the Muslim League, forgetting the fact that he comes from a State where fissiparous tendencies are at their height, though at least the Muslim League is innocent in that respect. His own partymen are leaving the party and quarrelling among themselves as integrationists and separatists. The separatists are working in Hyderabad and some of them are integrationists in Delhi, though all of them claim to be secular in their approach and Shri Reddy throws the blame on the Muslim League.

In this country even some secular parties while contesting elections have quarrelled among themselves, as between Reddys and Khammas, between Lingayats and Okkaligas, between Jats and Rajputs. But they have got a secular streak to hide all these things. They accuse the other parties not

knewing that the boot is on the other leg.

The aims and objects of the Mover are limited as the Mover has stated in the Bill, but some speakers went to the extent of even suggesting banning of parties whose membership is confined only to certain communities, national parties of minority communities.

You must judge a party not by its name but by its actions. I want to avoid controversy but when people accuse the Muslim League, I would like to state that we, the Muslim League party, have supported all the progressive measures of Shrimati Indira Gandhi's Government. This was so even when the Indira Gandhi Government had not the overwhelming majority it has today. Even though we had no alliance with that Congress, we still supported them in the election of President Giri. We supported Banks nationalisation. We supported the Privy Purses Abolition Bill. But now we are accused of being communal when this charge is applicable to some of the secular parties.

**SHRI SHASHI BHUSHAN:** So you support foodgrains take over?

**SERI C. H. MOHAMED KOYA:** Yes. In principle. We have only said that you should have the necessary arrangements to enforce it. Otherwise, as in the coal nationalisation measure after which coal prices went up, the same fate will overtake this measure in regard to the prices of foodgrains and this will defeat the very purpose of the measure. We are prepared to accept this. We only say that the officers cannot do this. There must be proper arrangements for implementing it. That is the only difference.

**MR. CHAIRMAN:** Kindly speak to the Bill.

**SERI C. H. MOHAMED KOYA:** Shri Reddy has given us an advice to change our name. What is the harm

in a name? There is the Jan Sangh. Its name is good. We are a national party. It is not the name that matters, it is the party's activity that counts. Shakespeare has said After all what is there in a name? A rose by any other name will smell as sweet. Therefore, we need not take the trouble of changing the name. What is important is the activity. What is there in a name? For instance, in a country like Italy, the Christian Democratic Party is ruling, and there is no earthquake because of that. What about Malaysia? Three communal parties have been there the United Malaysian National Organisation, i.e., the UMNO, then the MCA—the Malaysian Chinese Association and the MIC—the Malaysian Indian Congress. An alliance of these three parties was led by Tunku Abdul Rahman formerly and now by Tun Abdul Razak. And we must all remember with gratitude that Malaysia was among the first to come forward and support us in the Indo-Pakistan war. Therefore, this change of name has nothing to do with the actual practice. The activity is important. If you name an ugly girl as Sundari Bai, it does not make a difference. So, the name is not the main thing. It is the activity of the Muslim League that is important.

17 hrs

I think that the nature of a party cannot be described by any name that it may have or by the cloak that it wears. It must be judged by the activities. I support Shrimati Subhadra Joshi's Bill in its objective, but my only fear is that it may be misused. Earlier in the day, there was another Bill under discussion during the course of which it was mentioned that some people were sent to the gallows by mistake. I do not know whether people will be sent to the "gallows" on the ground of communalism by mistake and they will not be allowed to come here. It is not enough that you call a party as a secular party and then quarrel over separation or non-separation. Therefore, if the provisions in the Indian Penal Code are

not enough, or if the Constitutional provisions are not enough; I do not grudge Shrimati Subhadra Joshi's efforts to amend the Representation of the People Act through this Bill.

But I do not want to go on record without challenging Shri Reddy when he attacked the Muslim League and threw the blame on them, and made such an argument, especially coming from Andhra Pradesh which is now the hotbed of fissiparous tendencies shown by the so-called secular parties.

भी यूस बन्द डाग (पाल.) मैं नहीं भवक्षता हूँ कि किसी को भी इस बिल का विरोध करना चाहिए। रिप्रिजेटेशन आफ पीसल एक्ट मे 153 (ए) पहले से है और (ब) और जाडने की यहा इस बिल मे बात कही गई है। भवी जी खटे हो कर मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि इसको रख देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि न इनका आर न उनको गर्म होना चाहिए। सब का अपने विलो को टटोलना चाहिए। सकोर्णता पाप है साम्प्रदायिकता महापाप है। साम्प्रदायिकता का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। जो धर्म का होता है वह धर्मों का नहीं होता आर जो धर्मों का होता है वह धर्म का नहीं होता है। न हमारे लिए कोई हिन्दू है और न मुसलमान, हमारे लिए सब भारतीय हैं। सविधान के प्रति जो बफादार नहीं है उनको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ की बकालत करता है तो उनका क्या किया जाए यह भी सोचने वाली बात है। पुरी के शंकराचार्य जिस तर्गह के विष्टनकारां कार्य कर रहे हैं, उनको आप इस तरह के बन्न के दायरे मे लाइये। वह क्या बहने हैं, लेकिये

"The Scheduled Castes held a noisy demonstration against the Shankaracharya of Puri during a public debate at which the Hindu Religious Chief defended his views that inequality was the essence of Nature."

जब हम इसान इसान मे भेद बत्त करना चाहते हैं, इसकी दोबारों को तोड़ना

## [भी भूलकर्म छापा]

चाहते हैं, नए समाज से इमान इसान में न आर्थिक भेद रखना चाहते हैं और न ही धर्म की दीवार रखना चाहते हैं और साम्राज्यिकता की दीवार को भी तोड़ना चाहते हैं और जो इसके विरोध में जा कर बात करता है, उनके खिलाफ आप एक्शन ले। सबाल एक ही है। जो हिस्ट्रुस्टान का रहने वाला है जो हिन्दुस्टान के सविधान के प्रति बफादार है और उसके अनुसार चलता है, उनको काम करने की पूरी छट रहनी चाहिये। सिखों के अखाड़े लगते हैं। उनमें वे तलबारे चलाते हैं, भूगिया चलाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छुरियों के घाव नहीं होते, घाव अन्दर के होते हैं। छुरी या लाठी कोई घाव नहीं करती है, इसके घाव इतन गहरे नहीं होते हैं लेकिन जो इमान इमान को अनग करते हैं वे ऐसे घाव हैं जो कभी भर नहीं सकते हैं। हमारा देश कवियों का देश रहा है, ग्हीम ग्रामान, जायसी का देश रहा है, यहा की सम्झूलि हमें आपस में घुणा करना नहीं मिलती, इस देश में विभिन्नता में एक्ना तैयारी करना कर माला गथी गर्जते अब हमारा फर्ज है कि उम माला के फला को हम विवरण्ने न दे और उमकी वृद्धगृन्ती को नष्ट न होने दे। हम सब अपन मग टटोले। जर्निन, धर्म आदि के नाम पर प्रचार करने वाले 17वीं और 18वीं सदी के लाग हैं। उनको इस जमाने में रहने का आधिकार भी नहीं होना चाहिये। यह नया जमाना है, तर्ज रोयानी है। 18वीं सदी के तिलक-धारी चल नहीं सकते हैं। हम समझते हैं कि आदमी का मन माफ होना चाहिये। सारे जहा से अचाना हिन्दुस्टान हमारा, इसको हम न भूले। किसी पर हम छीटाकशी न करे। हम पहले तोले और किर बोले प्रेम में बोले। किंजल की नुकताक्षीनी हम न करें। इससे कुछ नहीं मिलता है।

जब कोई इंसान इंसान में भेद करता है तो इसको देख कर दुख होता है, किर जाहे पुरी के शकराचार्य हो या कोई और विद्वान हो या धर्म वास्त्री हो या धर्म का जाता है। हमने बहुत सोच समझ कर सविधान को बनाया था। हमारा देश एक है और हमको इसको ऊपर उठाना है। इस प्रकार के जो भेद करते हैं, उनको सजा दी जाए। सविधान की बातों को जानते हुए जो इस प्रकार की बातें करते हैं, बिना मतलब के भेद पैदा करते हैं, जाति भेद पैदा करते हैं, उनको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।

मैं एक ही बात मत्ती जी से पूछता चाहता हूँ वह बताए कि क्या कभी 15.3ए का इटरप्रेटेशन हाई कोर्ट की जजमेट में हुआ है और क्या किसी का कनविक्शन हुआ है। हमने एक भी केस अभी तक इस तरह का नहीं देखा है। जल्दी जल्दी कदम उठाने के बजाय हम सोचें कि जो एक बना हुआ है उसके किसी मैक्शन के अन्दर किसी को मजा हुई है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब गेरिप्रिजेटेशन आफ पीपल्ज एक्ट बना है तब से समाज में नफरत फैलाने वाला की नादाद बढ़ी है या कम हुई है? एक बड़ा आदर्शवादी कदम आप उठाए मुझे कार्य एतराज नहीं है। लेकिन अभी तक उक्त इटरप्रेटेशन मालूम नहीं हुआ है। मैं जाहता हूँ कि मत्ती जा बयान दत जवत बताए कि 15.3ए के अन्तर्गत क्या हमने किसी को मजा दिलाई है। चनाव भ सब पार्टिया उत्तरती है, भव जनता का तकलीफ बढ़ी है और इनको हव करना चाहिये, इसकी दुहाई देती है। अब जो इनके मन के अन्दर की बात है, इसको बे जाने। बाहर और अन्दर की बारीकियों को हमें समझना होगा और उन पार्टियों को खत्म करना होगा जो देश में विष छोलती हैं, जहर

फैलाती हैं, इसान का इंसान से प्रसन्न करती हैं, खाई पैदा करती हैं उन में। उन लोगों तथा पाठियों को काम हमें नहीं करने देना चाहिए।

विवि, व्याय और कल्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। इस के जरिये यह माग की गई है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) में "दफा 153ए" के बाद "दफा 153बी" जोड़ दिया जाये। वहस के दौरान माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उद्देश्य को छोड़ कर उस के बाहर जा कर, बहुत सी बातें कही हैं। उन बातों का मैं यहाँ कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उन का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है?

जहा तक धारा 153बी का सम्बन्ध है, वह किमिनल ला (एमेडमेट) बिल के जरिये इस सदन ने स्वीकार कर ली है और 14-6-72 से इडियन पीनल कोड में शामिल हो गई है। उस के अनुसार साम्प्रदायिक और अन्य फूट डालने वाले तत्वों द्वारा आयोजित ड्रिल, व्यायाम और वैमे ही क्रिया-कलाप को विधि के अधीन दढ़ायी बना दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य ये है कि जिन व्यक्तियों को धारा 153बी के अधीन सजा दी जाये, उन्हे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत छ साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अद्योग्य करार दे दिया जाये।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 22 जून, 1971 को इस सदन ने एक प्रस्ताव पास कर के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए एक ज्वाइट कमेटी बनाई थी। उस ज्वाइट कमेटी

ने अपनी रिपोर्ट इस सदन और राज्य सभा के साथने प्रस्तुत कर दी है। उम रिपोर्टों के पहले भाग में ड्रापट बिल दिया गया है, जिस को ज्वाइट कमेटी ने 6 जनवरी, 1972 को स्वीकार किया था और वह 18 जनवरी, 1972 को इस सदन में प्रस्तुत हुआ था।

जैसा कि मैंने बहा है, दफा 153बी 14-6-72 से इडियन पीनल कोड का धंग बन गई। इसलिए ज्वाइट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उमसे दफा 153बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था क्योंकि उस समय दफा 153बी का अस्तित्व नहीं था। चूँकि अब दफा 153बी इडियन पीनल कोड में शामिल हो गई है इसलिए ज्यायट कमेटी के ड्रापट बिल के आधार पर शासन बहुत जल्दी एक बिल प्रस्तुत करने वाला है। उस से कलाज 17 से दफा 153ए के बाद दफा 153बी जोड़ने का निश्चय कर लिया गया है।

शासन की ओर से बिल भदन के सामने आयेगा, उस में श्रीमती सुभद्रा जोशी के बिल में की गई माग को स्वीकार कर लिया गया है। इस लिए मैं उन से प्रार्थना करूँगा कि चूँकि उन का उद्देश्य शासन द्वारा लाये जाने वाले बिल से पूरा हो जायेगा, इसलिए वह अपने इस बिल को वापिस ले ले। मैं श्री डागा से भी निवेदन करूँगा कि वे भी अपने प्रस्ताव को वापिस ले ले।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, मरी महोदय के उत्तर के बाद मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। जिन सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ सदस्यों ने यह नियम प्रकट किया है कि-

(श्रीमती सुभद्रा जोशी)

हम वित्त के पक्ष संसद से सामोजिकान के दबाने का प्रयत्न करते हैं। अमर कानून पर धमल करते रहते सही नहीं हैं, वह कानून बने रखे नहीं हैं, अत्यंत सरकार की बत्त हो जाती है लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि कानून बनाके ही न जाए।

मवी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वह जो बिल ला रहे हैं, उस में मेरा यह संशोधन शामिल है। इस लिए मैं उन को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे उन्होंने आदेश दिया है मैं हाउस से अपना बिल वापिस लेने की इजाजत चाहती हूँ।

MR CHAIRMAN Now there is an amendment by Mr M C Daga Do you want to withdraw it?

SHRI M C DAGA Sir, I want the permission of the House to withdraw it

*Amendment No 1 was by leave,  
withdrawn*

MR CHAIRMAN Now, the question is

"That leave be granted to Shrimati Subhadra Joshi to withdraw her bill"

*The motion was adopted.*

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI Sir I withdraw the Bill

17.15 hrs

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL

(Amendment of Seventh Schedule)  
by Shri Arjun Sethi

SHRI ARJUN SETHI (Bhadراك). Sir, I beg to move

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration"

It needs hardly to be emphasised that the formative period in the life

of a child when he is to be imparted primary and secondary education is a very important period. But it is regretable that education in both these stages being in the sphere of States who do not have sufficient funds is most neglected. The result is that the children are not even half-educated when they come out of the secondary stage of education. While emphasising the role of education in the national life of India the Education-Commission in 1964 remarked

The destiny of India is now shaped in her class rooms. In a world based on science and technology it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people. The quality and number of persons coming out of our schools and colleges still depend our success in the great enterprise of national reconstruction whose principal objective is to raise the standard of living of our people."

The Education Commission further recommended

"The magnitude gravity and urgency have increased immensely and it has acquired a new meaning and importance since the attainment of independence and the adoption of the policy and techniques of planned development of the national economy. If the pace of national development is to be accelerated, there is need for well-defined bold and imaginative educational policy and for determined and vigorous action to vitalise, improve and expand education."

The size and complexity of the problem has been further accentuated with the rapid increase in the population of the country commensurate with the increase in the number of enrolments and with the phenomenal growth of educational institutions itself